
उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2017
(Uttar Pradesh Electronics Manufacturing Policy -2017)

अनुक्रमणिका

अध्याय 1 : परिचय

1.1 आमुख (Preamble)

अध्याय 2 : परिकल्पना, लक्ष्य, उद्देश्य

2.1 परिकल्पना (Vision)

2.2 लक्ष्य (Mission)

2.3 उद्देश्य (Objectives)

अध्याय 3 : नीति लक्ष्य तथा कार्यान्वयन रणनीति

3.1 नीति लक्ष्य (Policy Target)

3.2 अवस्थापना विकास (Infrastructure Development)

3.3 ई-अपशिष्ट प्रबन्धन (Handling e-Waste)

3.4 इलेक्ट्रानिक मिशन निदेशालय

3.5 नीति कार्यान्वयन इकाई

3.6 सशक्त समिति

अध्याय 4 : प्रोत्साहन

4.1 पूंजी उपादान

4.2 ब्याज उपादान

4.3 स्टाम्प ड्यूटी

4.4 पेटेन्ट्स फाइलिंग हेतु प्रोत्साहन

4.5 स्टेट जी.एस.टी.

4.6 भूमि हेतु प्राविधान

4.7 प्रकरण (केस-टू-केस) आधारित प्रोत्साहन

4.8 ई.एम.सी. अवस्थापना सुविधाएँ

4.9 अन्य हितलाभ

4.10 प्राइवेट ई.एस.डी.एम. पार्क

4.11 निर्बाध विद्युत आपूर्ति

अध्याय 5 : विपणन एवं ब्रॉण्डिंग रणनीति

अध्याय 6 : शब्दावली

6.1 ई.एस.डी.एम. उद्योग

6.2 फ़ैब इकाई

6.3 इलेक्ट्रानिक्स मैनुफैक्चरिंग क्लस्टर्स

6.4 बैंक / वित्तीय संस्थान

6.5 राज्य अधिकरण

अध्याय 1 : परिचय

1.1 आमुख (Preamble)

उत्तर प्रदेश की प्राचीन ऐतिहासिक भूमि, संसाधनों तथा सांस्कृतिक विरासत से अत्यन्त समृद्ध है। लगभग 200 बिलियन अमेरिकन डालर से अधिक सकल घरेलू उत्पाद वाला यह प्रदेश, भारत के विशालतम राज्यों में से एक है। लगभग 20 करोड़ की जनसंख्या सहित, उत्तर प्रदेश में उपभोक्ताओं का विशालतम आधार है। त्वरित औद्योगीकरण तथा मेट्रो रेल, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे, आईटी सिटी, आईटी पार्क्स एवं निर्माणाधीन, पूर्वान्वल एक्सप्रेसवे, इलेक्ट्रानिक्स मैनुफैक्चरिंग क्लस्टर, इण्डस्ट्रियल जोन्स, ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी इत्यादि राजकीय परियोजनाओं द्वारा प्रदेश ने तीव्रगति से विकास तथा विकसित समाज की ओर, पथ प्राप्त कर लिया है।

प्रदेश को सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रानिक्स क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए प्रतिष्ठित कम्पनियों जैसे टाटा कन्सल्टेन्सी सर्विसेज, आई.बी.एम., विप्रो, एस.टी. माइक्रोइलेक्ट्रानिक्स इत्यादि का महत्वपूर्ण योगदान है तथा सैमसंग, एल.जी. इलेक्ट्रानिक्स, एच.सी.एल. की दीर्घकालीन स्थापना और दो दशकों के अधिक समय से प्रदेश में उनका सफल कार्य-परिचालन प्रदेश के लिए गर्व का विषय है। प्रदेश में कुशल जनशक्ति का प्रचुर भण्डार तथा उद्योगों की माँग को पूरा करने वाले आई.आई.टी. कानपुर, आई.आई.एम. लखनऊ, बी.एच.यू., आई.आई.आई.टी. इत्यादि जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों की उपस्थिति है।

1.75 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर के आकार वाला इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण उद्योग विश्व के विशालतम एवं तीव्र गति से विकासशील उद्योगों में से एक है तथा वर्ष 2020 तक इसके 2.4 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर तक पहुँच जाने की आशा है। केवल भारतीय इलेक्ट्रानिक्स बाजार की माँग वर्ष 2020 तक 400 बिलियन अमेरिकन डॉलर तक पहुँच जाने की आशा है। वर्तमान विकास दर के आधार पर भारत केवल 100 बिलियन अमेरिकन डॉलर का इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण सकेगा। माँग और आपूर्ति के इस अन्तर को दूर करने के लिए भारत सरकार द्वारा घरेलू और वैश्विक – दोनों प्रकार की माँग को पूरा करने के लिए भारत को इलेक्ट्रानिक्स सिस्टम डिजाइन तथा विनिर्माण (ESDM) के एक वैश्विक केन्द्रक के रूप में रूपान्तरित किये जाने की परिकल्पना की गई है। इस राष्ट्रीय परिकल्पना के अनुरूप, उत्तर प्रदेश राज्य नए प्रवेशकर्ताओं जैसेकि ओप्पो, लावा, इन्टैक्स, वीवो इत्यादि तथा अनेक कम्पोन्ट्स उत्पादों के साथ ई.एस.डी.एम. क्षेत्र में तीव्र गति से उभर कर सामने आ रहा है।

ई.एस.डी.एम. ईकोसिस्टम को गति प्रदान करने के लिए 'उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति' एतद्वारा नॉयडा, ग्रेटर नॉयडा तथा यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र को "इलेक्ट्रानिक्स मैनुफैक्चरिंग जोन" उद्घोषित करती है तथा नीति के समस्त प्रोत्साहन इस उद्घोषित क्षेत्र में स्थापित होने वाली सभी इकाइयों को अनुमन्य होंगे। यह जोन यातायात साधनों की निरंतरतायुक्त सम्बद्धता, अत्याधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक हब, 24X7 विद्युत एवं जल उपलब्धता, सामाजिक इन्फ्रास्ट्रक्चर, अन्तरराष्ट्रीय विद्यालय, चिकित्सालय, निकटस्थ अन्तरराष्ट्रीय एयरपोर्ट तथा डी.एम.आई.सी और ई.डी.एफ.सी. कॉरीडोर से भी लाभान्वित है।

ये सुविधायें इस जोन में ई.एस.डी.एम. इकाइयों की स्थापना में कई गुना वृद्धि के प्रति उत्प्रेरक होंगी जो न केवल अर्थ-व्यवस्था को बढ़ावा देगी, अपितु राज्य में बड़ी संख्या में रोजगार भी उत्पन्न करेंगी।

अध्याय 2 : परिकल्पना, लक्ष्य, उद्देश्य

2.1 परिकल्पना (Vision)

“नवप्रवर्तन और नवीन प्रौद्योगिकी के अनुकूल कुशल जनशक्ति के उपयोग तथा उत्कृष्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर के निर्माण द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण उद्योग को उत्तर प्रदेश के लिए एक महत्वपूर्ण विकास माध्यम के रूप में विकसित किया जाना एवं इसके द्वारा चहुँमुखी चिरस्थायी परितंत्र (sustainable ecosystem) का सृजन तथा प्रदेश और देश की समग्र अर्थव्यवस्था में योगदान”

2.2 लक्ष्य (Mission)

- अनुकूल परिवेश प्रदान करके एवं उत्तर प्रदेश को भारत में सर्वाधिक वरीयता वाले निवेश गन्तव्य (preferred destination) के रूप में स्थापित करके इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण उद्योग के विकास को प्रोत्साहन प्रदान करना।
- उत्तर प्रदेश राज्य में ई.एस.डी.एम. इकाइयों की सफल स्थापना के लिए सिंगिल विन्डो सहायता प्रदान करना
- राज्य में इलेक्ट्रॉनिक्स में अनुसंधान एवं विकास, उत्पाद डिजाइन, असेम्बलिंग तथा परीक्षण, इंजीनियरिंग और उत्पादन के एक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण।
- राज्य में इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में जनशक्ति के लिए कौशल विकास को विकसित करना जिससे प्रदेश में ही व्यापक रोजगार के अवसरों में वृद्धि हो।

2.3 उद्देश्य (Objective)

- राज्य में इलेक्ट्रॉनिक मैनुफैक्चरिंग क्लस्टर (EMCs)/ई.एस.डी.एम. पार्क्स की स्थापना
- राज्य में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र में अधिकतम निवेश को आकर्षित किया जाना।
- राज्य में फ़ैब इकाई की स्थापना पर बल दिया जाना
- निवेशकों, विशेषतया विदेशी निवेशकों के लिए, उनके अनुकूल ई.एस.डी.एम. पार्क्स की स्थापना
- राज्य में वृहद पैमाने पर रोजगार का सृजन
- प्रादेशिक सकल घरेलू उत्पादन (जीएसडीपी) में वृद्धि

अध्याय 3 : नीति लक्ष्य एवं कार्यान्वयन रणनीति

3.1 नीति लक्ष्य

वर्तमान इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति के माध्यम से राज्य सरकार का लक्ष्य उत्तर प्रदेश को इलेक्ट्रानिक्स मैनुफैक्चरिंग हब बनाया जाना तथा एक ई.एस.डी.एम. परितंत्र विकसित किया जाना है जहाँ एंकर इकाइयों के साथ-साथ कम्पोनेन्ट्स निर्माता भी ई.एस.डी.एम. की मूल्य-संवर्धन के श्रृंखला में सम्मिलित होकर कार्य कर सकें।

इस नीति का लक्ष्य नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नॉयडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण तथा यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अन्तर्गत अधिसूचित सम्पूर्ण क्षेत्र को 'इलेक्ट्रानिक्स मैनुफैक्चरिंग जोन' (ई.एम.जेड.) घोषित किया जाना है जिससे राज्य में अधिक से अधिक ई.एस.डी.एम. इकाइयों की स्थापना हो सके।

इस नीति का लक्ष्य, ई.एस.डी.एम. क्षेत्र में रु 20,000 करोड़ का निवेश आकर्षित किया जाना तथा वर्ष 2022 तक न्यूनतम 3,00,000 व्यक्तियों के लिए रोजगार का सृजन किया जाना है।

3.2 अवस्थापना विकास

राज्य में व्यवसायिक इकाइयों की स्थापना के लिए इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण संकुल (Electronics Manufacturing Clusters) / ई.एस.डी.एम. पार्क्स की स्थापना पर बल दिया जायेगा। ये EMCs / ई.एस.डी.एम. पार्क्स

- ज्ञान आधारित नव-प्रयोगों एवं प्रतिस्पर्द्धी व्यवसायिक क्षेत्रों के सृजन, व्यक्ति-कारित नव-प्रयोग तथा वैश्विक नेटवर्किंग
- पर्यावरण सम्बन्धी बिन्दुओं के अनुश्रवण व प्रबन्धन की उच्च क्षमता
- नगरीय परिवहन में सुधार तथा अधिक संरक्षित नगरीय स्थल
- भूमि, विद्युत (24X7 गुणवत्तायुक्त निर्बाध ऊर्जा आपूर्ति), पानी, सड़क इत्यादि जैसी आधारभूत अवस्थापना सुविधायें प्रदान करने में सहायक होंगे।

3.3 ई-अपशिष्ट प्रबन्धन (e-waste handling)

वैश्विक व्यवस्था के अनुरूप हानिकारक पदार्थों के उपयोग पर प्रतिबन्ध सहित, e-waste handling (management and Handling) Rules 2011 का क्रियान्वयन सहज बनाने हेतु उद्योग के साथ मिलकर एक तंत्र का निर्माण। राज्य में उत्पन्न ई-अपशिष्ट के लिए ई-अपशिष्ट पुनर्चक्रण उद्योग (recycling industry) को प्रोत्साहन।

3.4 इलेक्ट्रानिक मिशन निदेशालय

मिशन निदेशालय में एक स्थायी मिशन निदेशक, उप निदेशक तथा वित्त एवं प्रशासन विभाग के प्रभारियों के अतिरिक्त कन्सल्टेण्ट एवँ यथाआवश्यक अन्य स्टाफ होगा।

मिशन निदेशालय द्वारा निवेशकों से वार्ता की जायेगी तथा निवेशकों द्वारा प्रस्तुत निवेश प्रस्तावों का विश्लेषण किया जायेगा तथा नीति कार्यान्वयन इकाई के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

नीति कार्यान्वयन इकाई के अनुमोदन के अनुरूप, मिशन निदेशालय द्वारा नियमानुसार वित्तीय प्रोत्साहन वितरित किया जायेगा।

निवेश प्रस्ताव पर सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त निवेशक को लेटर ऑफ कम्फर्ट जारी किया जायेगा।

निवेशकों को आकर्षित करने के लिए मिशन निदेशालय द्वारा समय-समय पर इवेन्ट/कार्यशाला/कान्फ्रेन्स में प्रतिभाग किया जायेगा तथा इस प्रकार के आयोजन आयोजित किये जायेंगे।

सम्बन्धित प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी/सम्बन्धित जिलाधिकारी निवेशक को बिजली, पानी, भूमि, वाह्य इन्फ्रास्ट्रक्चर इत्यादि सहित पूर्ण समेकित पैकेज उपलब्ध कराने हेतु निदेशालय को निकट सहयोग प्रदान करेंगे।

3.5 नीति कार्यान्वयन इकाई

नीति कार्यान्वयन इकाई (पी.आई.यू.) नीति में प्रदत्त प्रोत्साहन की प्राप्ति हेतु निवेशक के दावों पर सुगम एवँ प्रभावी कार्यवाही हेतु प्रमुख सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स, उत्तर प्रदेश सरकार के मार्गदर्शन में एकल खिड़की निस्तारण इकाई के रूप में निवेशकों के साथ घनिष्ठता से कार्य करेगी।

इसके अतिरिक्त पी.आई.यू. द्वारा रु 200 करोड़ से अधिक सम्भावित निवेश वाले प्रस्तावों का परीक्षण कर सशक्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

रु 200 करोड़ से कम पूँजी निवेश वाली परियोजनाओं को इस नीति के अनुरूप, प्रस्ताव के आधार पर नियमानुसार स्वीकृति/अनुमोदन प्रदान किया जाना।

निवेश प्रस्ताव के सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त समय-समय पर निवेशकों द्वारा किये गये दावों/प्रतिपूर्ति पर मिशन निदेशालय की संस्तुति पर नीति कार्यान्वयन इकाई द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जायेगा।

नीति कार्यान्वयन इकाई अवरोधों के समयबद्ध रूप से निवारण (clearing roadblock) में भी उत्तरदायी होगा। यदि समय-सीमा के भीतर समस्या का समाधान नहीं हो पाता है तो मामला सशक्त समिति के समक्ष आ जायेगा।

3.6 सशक्त समिति

राज्य में नीति के कार्यान्वयन एवं उसके सफल निष्पादन का अनुश्रवण मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय सशक्त समिति (Empowered Committee) द्वारा किया जायेगा। अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त तथा सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स, वित्त, नियोजन, लघु उद्योग, वाणिज्य कर, ऊर्जा, सिंचाई, आवास विभाग, श्रम तथा आवश्यकतानुसार अन्य विभागों के अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव के अतिरिक्त नॉयडा, ग्रेटर नॉयडा, यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य औद्योगिक विकास निगम इस समिति में सदस्य के रूप में होंगे।

सशक्त समिति का अधिकार-पत्र (Charter) होगा :-

- अनुश्रवण एवं सुनिश्चित करना कि सम्बन्धित आदेशों/अधिसूचनाओं तथा संशोधनों को स-समय जारी कर दिया जाये।
- नीति के अन्तर्गत भविष्य में माँग तथा औद्योगिक परिदृश्य के आलोक में नये इलेक्ट्रानिक्स मैनुफैक्चरिंग जोन हेतु अनुमोदन। नव-घोषित इलेक्ट्रानिक्स मैनुफैक्चरिंग जोन में केस-टू-केस आधार पर निवेशकों को प्रोत्साहनों की अधिकतम सीमा में शिथिलता पर विचार
- रु 200 करोड़ से अधिक निवेश वाली परियोजनाओं पर स्वीकृति हेतु केस-टू-केस आधार पर विचार एवं माननीय मंत्रिपरिषद के अनुमोदन हेतु अनुशंसा
- इस नीति से सम्बन्धित मामलों में अन्तर्विभागीय सामन्जस्य (Inter Departmental coordination) स्थापित कर आवश्यकतानुसार निवेशकों की कठिनाइयों का निवारण
- समस्त स्तरों पर कार्यान्वयन से सम्बन्धित बिन्दुओं पर हल निकालना

अध्याय 4 : प्रोत्साहन

राज्य में इलेक्ट्रानिक्स मैनुफैक्चरिंग जोन में स्थापित हो रहे इलेक्ट्रानिक मैनुफैक्चरिंग क्लस्टर/ई.एस.डी.एम. पार्क तथा एकल ई.एस.डी.एम. इकाइयों की स्थापना को परिलक्षित करते हुए 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाली अवधि अथवा सक्षम स्तर से अनुमोदित रु 20,000 करोड़ (फैब इकाई के अतिरिक्त, यदि हो तो) तक वित्तीय प्रोत्साहन, जो भी पहले हो, हेतु निम्नलिखित प्रोत्साहन अनुमन्य होंगे। पुनः नीति की अवधि विस्तार तथा वित्तीय प्रोत्साहन की राशि बढ़ाने हेतु सशक्त समिति द्वारा निर्णय लिया जायेगा एवं इस नीति के अन्तर्गत गठित सशक्त समिति के निर्णयानुसार प्रोत्साहनों को अन्य इलेक्ट्रानिक मैनुफैक्चरिंग जोन के लिए भी विस्तारित किया जा सकता है।

ई.एस.डी.एम. इकाइयों को वित्तीय प्रोत्साहन

4.1 पूँजी उपादान

- भूमि के अतिरिक्त स्थिर पूँजी पर, रू 5 करोड़ की अधिकतम सीमा सहित, 15 प्रतिशत पूँजी उपादान, अनुमन्य होगा।
- रू0 200 करोड़ से अधिक निवेश वाली इकाइयों को, केस टू केस आधार पर, पूँजी उपादान की उक्त सीमा को अधिकतम रू 150 करोड़ की सीमा तक शिथिल किया जा सकता है।
- यह उपादान ई.एस.डी.एम. इकाइयों को वित्तीय संस्थानों/बैंकों द्वारा मूल्यांकित पूँजी अथवा आवश्यकतानुसार राज्य सरकार द्वारा गठित समिति या वित्तीय कन्सल्टेण्ट्स द्वारा मूल्यांकित पूँजी पर ही अनुमन्य होगा।

4.2 ब्याज उपादान

बैंकों/वित्तीय संस्थानों से लिये गये ऋण पर अदा किये गये ब्याज की दर पर 5 प्रतिशत प्रति वर्ष की ब्याज उपादान की प्रतिपूर्ति 7 वर्ष हेतु की जायेगी जिसकी अधिकतम सीमा प्रति वर्ष प्रति इकाई रू 1.00 करोड़ होगी।

4.3 स्टाम्प ड्यूटी

इलेक्ट्रानिक मैनुफैक्चरिंग जोन के अन्तर्गत एकल ई.एस.डी.एम. इकाइयों की स्थापना हेतु भूमि के क्रय करने/पट्टे पर लेने पर स्टैम्प शुल्क में शत प्रतिशत छूट प्राप्त होगी।

इलेक्ट्रानिक मैनुफैक्चरिंग क्लस्टर/ ई.एस.डी.एम. पार्क्स हेतु भूमि के क्रय करने/पट्टे पर लेने पर प्रथम ट्रांजेक्शन (प्राधिकरण से विकासकर्ता/ एस.पी.वी. के पक्ष में) पर स्टैम्प शुल्क में 100 प्रतिशत तथा द्वितीय ट्रांजेक्शन (विकासकर्ता/एस.पी.वी. से ई.एस.डी.एम. इकाई के पक्ष में) पर 50 प्रतिशत की छूट प्राप्त होगी।

4.4 पेटेन्ट्स फाइलिंग हेतु प्रोत्साहन

शोध एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए, घरेलू पेटेन्ट्स हेतु रू 5,00,000 तथा अन्तर्राष्ट्रीय पेटेन्ट्स हेतु रू 10,00,000 की सीमा सहित, वास्तविक फाइलिंग लागत की शत-प्रतिशत प्रतिपूर्ति, स्वीकृत पेटेन्ट्स के लिए अनुमन्य होगी।

4.5 स्टेट जी.एस.टी.

भूमि को छोड़कर, अन्य स्थिर पूँजी निवेश (यथा भवन, प्लान्ट और मशीनरी, परीक्षण उपकरण इत्यादि) के अधिकतम 100 प्रतिशत की सीमा सहित, 10 वर्षों की अवधि तक, जो भी पहले हो, स्टेट जी.एस.टी. की शत-प्रतिशत प्रतिपूर्ति।

ई.एस.डी.एम. इकाइयों हेतु अनुमन्य अन्य प्रोत्साहन

4.6 भूमि हेतु प्राविधान

इलेक्ट्रानिक मैन्युफैक्चरिंग जोन के अन्दर स्थापित इलेक्ट्रानिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर/ ई.एस.डी.एम. पार्क्स तथा एकल ई.एस.डी.एम. इकाइयों को सरकारी अभिकरणों से क्रय की जाने वाली भूमि पर तत्समय प्रचलित सेक्टर दरों पर 25 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी। इस छूट की प्रतिपूर्ति राजकीय बजट से की जायेगी।

फ्लोर एरिया रेशियो: इकाइयों को 3.0 + 1.0 (क्रय योग्य) फ्लोर एरिया रेशियो की अनुमन्यता होगी।

कर्मकारों हेतु डॉरमिटरीज तथा कल्याणकारी सुविधायें: न्यूनतम 50 एकड़ भूमि क्षेत्र में "इण्डस्ट्रियल लैण्ड यूज" में 30 प्रतिशत के कुल फ्लोर एरिया रेशियो की सीमा तक भूमि का उपयोग कल्याणकारी सुविधाओं यथा कर्मकारों हेतु डॉरमिटरीज, कैण्टीन, डिस्पेन्सरी आदि की अनुमति होगी।

4.7 प्रकरण (केस-टू-केस) आधारित प्रोत्साहन

मात्र रू 200 करोड़ से अधिक निवेश वाली ESDM इकाइयों हेतु

विकल्प 1 :

- रू 200 करोड़ से अधिक तथा रू 300 करोड़ की सीमा तक के निवेश तथा न्यूनतम 1000 रोजगार सृजन वाली ई.एस.डी.एम. इकाइयों को नीति के विद्यमान प्राविधानों के अनुरूप ही विशेष प्रोत्साहन दिये जायेंगे, जिसका निर्धारण सशक्त समिति द्वारा किया जायेगा। पूँजी उपादान और ब्याज उपादान के मदों में केस टू केस आधार पर प्रोत्साहनों की अधिकतम वित्तीय सीमा को सशक्त समिति की संस्तुति तथा मा0 मंत्रिपरिषद के अनुमोदनोपरान्त शिथिल किया जा सकता है।
- रू 300 करोड़ से अधिक निवेश तथा न्यूनतम 1500 रोजगार सृजन वाली ई.एस.डी.एम. इकाइयों को नीति के विद्यमान प्राविधानों के अतिरिक्त विशेष प्रोत्साहन दिये जायेंगे जो ई.पी.एफ, ई.एस.आई. की प्रतिपूर्ति, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की प्रतिपूर्ति, प्रशिक्षण मूल्य की प्रतिपूर्ति, भूमि, ऊर्जा पर छूट इत्यादि एवं अन्य किन्हीं मदों में छूट के रूप में होंगे, जिसका निर्धारण सशक्त समिति द्वारा किया जायेगा।

विकल्प 2 :

- रू 200 करोड़ से अधिक निवेश तथा न्यूनतम 1000 रोजगार सृजन वाली ई.एस.डी.एम. इकाइयों को भूमि को छोड़कर, अन्य स्थिर पूँजी निवेश (यथा भवन, प्लान्ट और मशीनरी, परीक्षण उपकरण इत्यादि) के अधिकतम 200 प्रतिशत की सीमा सहित, 10 वर्षों की अवधि तक, जो भी पहले हो, स्टेट जी.एस.टी. की 80 प्रतिशत प्रतिपूर्ति, जिसका निर्धारण सशक्त समिति की संस्तुति तथा मा0 मंत्रिपरिषद के अनुमोदन से किया जायेगा।

- इस विकल्प के अन्तर्गत, उपरोक्त उल्लिखित स्टेट जी.एस.टी. की 80 प्रतिशत प्रतिपूर्ति के अतिरिक्त, केवल “स्टाम्प ड्यूटी”, “भूमि हेतु प्राविधान”, “ई0एम0सी0 अवस्थापना सुविधायें” तथा “गैर वित्तीय प्रोत्साहन” अनुमन्य होंगे।

अभ्युक्ति:

- इलेक्ट्रानिक्स मैनुफैक्चरिंग जोन में स्थापित होने वाली ई.एस.डी.एम. इकाइयों द्वारा दोनों विकल्पों में से किसी एक विकल्प के सभी प्राविधानों का पूर्ण चयन करना होगा। इकाई द्वारा दोनों विकल्पों में से प्राविधानों का आंशिक चयन अनुमन्य नहीं होगा।
- किसी भी इकाई को प्रदेश सरकार के समस्त स्रोतों से प्राप्त होने वाले वित्तीय प्रोत्साहन, जब तक कि नीति में अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो, इकाई के स्थिर पूँजी निवेश के 100 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे।

“फैब इकाई”: फैब इकाइयों को केस-टू-केस आधार पर मा. मंत्रि परिषद के अनुमोदन से विशेष प्रोत्साहन दिये जाने हेतु एक कम्पलीट पैकेज (जिसमें भूमि, बिजली, पानी, अवस्थापना, अंशपूँजी सहभागिता, वित्तीय प्रोत्साहन एवं गैर वित्तीय प्रोत्साहन इत्यादि सम्मिलित हो) की अनुमन्यता होगी।

4.8 ई.एम.सी. अवस्थापना सुविधायें

भारत सरकार द्वारा अनुमोदित, ई.एम.सी. की स्थापना हेतु सामान्य सुविधाओं (सड़क, बिजली, जल, ई.टी.पी., परीक्षण सुविधाओं, सामाजिक अवस्थापना इत्यादि) के विकास पर हुए व्यय के लिए राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक्स नीति 2012 की ई.एम.सी. योजना के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा प्रदत्त उपादान का 50 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जायेगा।

टिप्पणी: उपरोक्त वर्णित समस्त प्रोत्साहन ई-अपशिष्ट पुनर्चक्रण कम्पनियों (रि-साइकिलिंग इकाइयों) को भी अनुमन्य होंगे।

4.9 अन्य हितलाभ

- प्रदेश में इलेक्ट्रानिक मैनुफैक्चरिंग जोन में स्थापित होने वाली इलेक्ट्रानिक क्षेत्र की इकाइयों की आवश्यकतानुसार, उ0प्र0 के मूल निवासी कार्मिकों को देश तथा विदेश में उच्च कौशल प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण जैसे एम्बेडेड सिस्टम डिजाइन, वी.एल.एस.आई. डिजाइन, पी.सी.बी. डिजाइन एवं मैनुफैक्चरिंग, चिप मैनुफैक्चरिंग, टी.एफ.टी. मैनुफैक्चरिंग इत्यादि हेतु स्थिर पूँजी निवेश के अधिकतम 05 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति प्रशिक्षण मूल्य के आधार पर, अधिकतम रु 25 करोड़ प्रति इकाई, कार्मिकों की छह माह की सेवा के पश्चात, कार्मिकों के प्रशिक्षण पर होने वाले व्यय का 50 प्रतिशत जिसकी अधिकतम सीमा प्रति कार्मिक, विदेश में प्रशिक्षण के लिये रु. 2.50 लाख एवं देश में प्रशिक्षण के लिये रु. 1.00 लाख की अनुमन्यता।

यह अनुदान केस-टू-केस आधार पर रु 300 करोड़ से अधिक निवेश वाली इकाइयों को ही अनुमन्य होंगे तथा समस्त स्रोतों से मिलने वाले कुल प्रोत्साहन, स्थिर पूँजी निवेश के 100 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे।

- इलेक्ट्रानिक्स उद्योग हेतु वॉछनीय कौशल आवश्यकताओं के अनुरूप, उ0प्र0 कौशल विकास मिशन के साथ जोड़ा जाना जिससे कि योजना के लाभ सुपात्रों को प्राप्त हों
- इस योजना हेतु सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आबंटित निधियों से ई.एस.डी.एम. क्षेत्र के अनुरूप कौशल विकास
- सप्ताह के सातों दिन 24 घण्टे परिचालन तथा सभी तीन पालियों में महिलाओं को कार्य की अनुमति

4.10 प्राइवेट ई.एस.डी.एम. पार्क

इलेक्ट्रानिक्स क्षेत्र के अन्तर्गत देशी एवं विदेशी निवेशक, ई.एस.डी.एम. पार्क में उद्योग लगाने के इच्छुक होते हैं और यह पार्क विकासकर्ता द्वारा विकसित किए जाते हैं। ऐसे विकासकर्ताओं को निम्न प्रोत्साहन अनुमन्य होंगे:—

- न्यूनतम 50 एकड़ क्षेत्र पर अनुमन्य
- सरकारी अभिकरणों से क्रय की जाने वाली भूमि पर तत्समय भूमि की प्रचलित सेक्टर दर पर 25 प्रतिशत छूट की अनुमन्यता
- विकासकर्ता को वाह्य अवरस्थापना अथॉरिटी द्वारा प्रदान किया जाना
- सम्बन्धित प्राधिकरण द्वारा सिंगिल विन्डो सहायता तथा प्रत्येक पार्क हेतु एक नोडल अधिकारी नामित किया जाना।
- वार्षिक ब्याज का अधिकतम 60 प्रतिशत तक उपादान, 7 वर्ष तक, अधिकतम रु 10.00 करोड़ प्रतिवर्ष सामान्य सुविधाओं (सड़क, बिजली, जल, डॉरमिटर्रीज इत्यादि) के विकास हेतु अधिकतम रु 50 करोड़
- स्टाम्प ड्यूटी छूट: भूमि के क्रय करने/पट्टे पर लेने पर प्रथम ट्रांजेक्शन (प्राधिकरण से विकासकर्ता के पक्ष में) पर 100 प्रतिशत तथा द्वितीय ट्रांजेक्शन (विकासकर्ता से ई.एस.डी.एम. इकाई के पक्ष में) पर 50 प्रतिशत छूट

4.11 निर्बाध विद्युत आपूर्ति

विश्वसनीय ऊर्जा आपूर्ति हेतु 'संरक्षित-भार' – ई.एम.सी./ई.एस.डी.एम. पार्क्स/फैब इकाई हेतु निर्बाध ऊर्जा आपूर्ति के लिए उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा ई.एम.सी. एस.पी.वी/ फैब इकाई/ ई.एस.डी.एम. पार्क्स के विकासकर्ता के साथ, आवश्यकतानुसार, सहमति पत्र हस्ताक्षरित किया जायेगा, जिससे विश्वसनीय एवं गुणवत्तायुक्त विद्युत आपूर्ति के लिए प्रतिबद्धता सुनिश्चित होगी।

अध्याय 5 : विपणन एवं ब्रॉडिंग रणनीति

इलेक्ट्रानिक्स मिशन निदेशालय इस नीति के विपणन एवं ब्रॉडिंग रणनीति के निर्धारण हेतु उत्तरदायी होगा। इलेक्ट्रानिक्स मिशन निदेशालय द्वारा निम्न कार्य सम्पादित किये जायेंगे:—

- राज्य के इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग तथा उसकी नीतियों एवं विभिन्न प्रोत्साहनों की एक ब्रॉण्ड छवि का सृजन
- नीति के प्रमुख बिन्दुओं को रेखांकित करने के लिए CII, ELCINA, MAIT, ICA, FICCI इत्यादि के सहयोग से सम्मेलन, सभायें, रोड शो तथा इवेन्ट्स आयोजित करना
- जागरूकता उत्पन्न करने के लिए प्रिंट, इलेक्ट्रानिक व सोशल मीडिया का उपयोग करना तथा उत्तर प्रदेश की ब्रॉण्डिंग और अन्य राज्यों के मुकाबिले उसे स्थापित करना
- अखिल विश्व स्तर पर राष्ट्रीय/ अन्तर्राष्ट्रीय सेमीकण्डक्टर तथा इलेक्ट्रानिक्स आयोजनों में प्रतिभाग करना

शब्दावली

6. शब्दावली

6.1 ई.एस.डी.एम. उद्योग

ई.एस.डी.एम. – इलेक्ट्रानिक्स सिस्टम डिजाइन एवं मैनुफैक्चरिंग उद्योग है जिसके अन्तर्गत निम्नवत् मुख्य घटक सम्मिलित, किन्तु यहीं तक सीमित नहीं हैं:

इलेक्ट्रानिक्स उत्पाद

- | | |
|---|---|
| क | मोबाइल उपकरण : मोबाइल हैंडसेट |
| ख | दूरसंचार उपकरण : मॉडेम, राइटर्स, स्विचेज इत्यादि |
| ग | उपभोक्ता इलेक्ट्रानिक्स : टीवी, डीवीडी प्लेयर्स, डिजिटल कैमरे, सेट टॉप बॉक्सेज इत्यादि |
| घ | आटोमोबाइल इलेक्ट्रानिक्स : विद्युत वाहन, पावर विन्डो इत्यादि |
| च | औद्योगिक इलेक्ट्रानिक्स : पावर इलेक्ट्रानिक्स, एल.ई.डी. लाईटिंग, सीएफएल, एनर्जी मीटर इत्यादि |
| छ | सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली एवं हार्डवेयर : डेस्कटॉप, नोटबुक, टैबलेट, मॉनीटर्स, मेमोरी कार्ड इत्यादि |
| ज | अन्य इलेक्ट्रानिक्स : एयरोस्पेस, रक्षा उपकरण सहित सामरिक उपकरण |

इलेक्ट्रानिक कम्पोनेन्ट्स

- | | |
|---|--|
| अ | एक्टिव कम्पोनेन्ट्स : ट्रॉजिस्टर्स, डायोड्स तथा सी.आर.टी |
| ब | पैसिव कम्पोनेन्ट्स : रेजिस्टर्स तथा कैपेसिटर्स |
| स | इलेक्ट्रोमेकेनिकल कम्पोनेन्ट्स : पीसीबी, पावर डिवाइसेज, रिले इत्यादि |

सेमीकण्डक्टर डिजाइन

- अ एम्बेडेड सॉफ्टवेयर डेवलपमेण्ट
- ब वीएलएसआई डिजाइन
- स हार्डवेयर/बोर्ड डिजाइन

इलेक्ट्रानिक्स मैनुफैक्चरिंग सर्विसेज (ई.एम.एस.)

मूल उपकरण निर्माताओं (ओ.ई.एम.) के लिए इलेक्ट्रानिक कम्पोनेन्ट्स तथा असेम्बलीज की डिजाइनिंग, टेस्टिंग, निर्माण, वितरण एवं अनुरक्षण।

नोट: इस अनुच्छेद में उल्लिखित उत्पादों के अतिरिक्त, भारत सरकार की एम-सिप्स गाइडलाईन्स में शामिल उत्पाद भी सम्मिलित होंगे।

6.2 फ़ैब इकाई

फ़ैब इकाई वह सेमीकण्डक्टर संरचना संयंत्र है, जहाँ इण्टीग्रेटेड सर्किट्स (ICs) चिप जैसी सामग्री निर्मित होती है।

6.3 इलेक्ट्रानिक्स मैनुफैक्चरिंग क्लसटर्स (ई.एम.सी)

ई.एम.सी. का तात्पर्य भारत सरकार की राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक्स नीति 2012 की ई.एम.सी. योजना के अन्तर्गत अनुमोदित ई.एम.सी. से है जो इलेक्ट्रानिक्स सिस्टम्स डिजाइन तथा विनिर्माण (ई.एस.डी.एम.) क्षेत्र के संवर्धन को बढ़ावा देंगे।

ये क्लसटर्स उपभोक्ता इलेक्ट्रानिक्स, विद्युतीकरण, पावर इलेक्ट्रानिक्स, कम्प्यूटर/सूचना प्रौद्योगिकी, दूरसंचार एवं इसी प्रकार के अन्य विभिन्न उपकरणों उनकी पूरी श्रृंखला के लिए इलेक्ट्रानिक कम्पोनेन्ट्स, पार्ट्स, सब-असेम्बलीज, सामग्री इत्यादि के विनिर्माण हेतु होंगे।

6.4 बैंक/ वित्तीय संस्थान

समस्त अधिसूचित बैंक इसके अन्तर्गत आयेंगे। सभी वित्तीय संस्थान जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित हैं और जिनका नियमन उसके द्वारा किया जाता है, इसके अन्तर्गत आयेंगे।

6.5 राज्य अधिकरण

- विकास प्राधिकरण
- आवास परिषद
- उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास निगम
- सरकार द्वारा अधिसूचित राज्य की अन्य संस्था

सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग
उत्तर प्रदेश शासन

यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड

– नीति कार्यान्वयन इकाई के रूप में

पता: 10, अशोक मार्ग, लखनऊ-226 001

दूरभाष: 0522-4130303, 2286808, 2286809

ई-मेल : missiondirector@upempolicy.in / md@uplc.in / uplclko@gmail.com

वेबसाइट: www.upempolicy.in / www.uplc.in